

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत श्री रवि भूषण प्रसाद सिन्हा, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को आवंटित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के नोडल पदाधिकारी के कार्य से दिनांक-31.08.2019 के प्रभाव से मुक्त किया जाता है। श्री सिन्हा तत्काल प्रभाव से उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा पूर्व से आवंटित एवं समय-समय पर आवंटित उद्योग निदेशालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेंगे।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, उद्यमी योजनांतर्गत श्री रवि भूषण प्रसाद सिन्हा को आवंटित यथा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के नोडल पदाधिकारी के कार्यों को दिनांक-01.09.2019 से श्री एस०एन० राम, संयुक्त उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

प्रस्ताव पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3007

पटना, दिनांक 31.07.19

प्रतिलिपि:- निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्रभारी संयुक्त उद्योग निदेशक, सी०एम० एम०सी०-एस०टी० योजना, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/श्री रवि भूषण प्रसाद, सिन्हा, संयुक्त उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/श्री एस०एन०राम, संयुक्त उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, सी०एम०एस०सी०-एस०टी० योजना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना/सी०एम०एस०सी०-एस०टी० योजना से संबंधित सभी पदा० एवं कर्मी तथा सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।